राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–2/1/7/रातस/2019/ 10382 दिनांकः– 31/10/19

:: आदेश ::

मण्डल के आदेश दिनांक 27.09.2019 द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा तहसीलदार चित्तौडगढ़ का स्थानान्तरण/पदस्थापन तहसीलदार बिजौलिया के पद पर किया गया। जिसके विरूद्ध श्री वर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 15295/2019 भूपेन्द्र कुमार वर्मा बनाम सरकार दायर की गयी। दायर रिट में मा. न्यायालय ने आदेश दिनांक 04.10.19 पारित कर निर्देश प्रदान किये कि याची अपना अभ्यावेदन राजस्व मण्डल में प्रस्तुत करे एवं मण्डल द्वारा "पुष्पा मेहता बनाम सरकार एव अन्य" में पारित निर्णय अनुसार उक्त अभ्यावेदन का 30 दिवस की समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सक्षम स्तर पर विचार किया जाकर इनके सेवानिवृति में 10 माह शेष रहने के कारण मा. न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में मण्डल के आदेश दिनांक 27.09.19 के द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा तहसीलदार चित्तौडगढ़ का स्थानान्तरण/पदस्थापन तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा के पद पर किया गया था, को श्री वर्मा के सम्बंध में निरस्त किया जाता है। इस प्रकार श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा तहसीलदार चित्तौडगढ़ के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं परिणामस्वरुप श्री लाला राम यादव तहसीलदार को एपीओ किया जाकर मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निर्धारित किया जाता है।

आदेशानुसार

निबन्धक
राजस्व मण्डल राज. अजमेर

क्रमांकः सम/10383-402 दिनांकः– 31/10/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ,शासन सचिवालय राज. जयपुर ।
3. संभागीय आयुक्त उदयपुर/अजमेर।
4. जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ़/भीलवाडा।
5. विशिष्ठ सहायक माननीय राजस्व मंत्री महोदय शासन सचिवालय जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/जांच/रिट/कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
7. विशेषाधिकारी उप–विधी परामर्शी राजस्व मण्डल अजमेर मुख्यालय कलेक्ट्रेट जोधपुर।
8. सम्बंधित श्री ....।
9. आदेश पंजिका / निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निबन्धक (रातस)
राजस्व मण्डल राज. अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–2/1/7/रातस/एपीओ/2019/ 10374 दिनांकः– 31/10/19

:: आदेश ::

मण्डल के आदेश क्रमांक राम/प–2/1/7/रातस/2019/9439 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा श्री निरभाराम कोडेचा तहसीलदार देचू जिला जोधपुर का स्थानन्तरण तहसीलदार जैसलमेर के पद पर किया गया था। जिसके विरूद्ध इनके द्वारा मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर में अपील संख्या 650/2019 दायर की गई। उक्त याचिका में मा. अधिकरण जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 17.10.19 पारित करते हुए मण्डल के स्थानान्तरण आदेश 27.09.2019 के प्रभाव एवं क्रियान्वन को याचि के सम्बंध में अधिकरण के आगामी आदेशों तक स्थगित किया है।

अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चलपीठ जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2019 की पालना में मण्डल के आदेश दिनांक 27.09.2019 के द्वारा श्री निरभाराम कोडेचा का तहसीलदार देचू जिला जोधपुर से तहसीलदार जैसलमेर के पद पर किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन मा. अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाकर इन्हें यथावत तहसीलदार देचू जिला जोधपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

आदेशानुसार

निबन्धक
राजस्व मण्डल राज. अजमेर

क्रमांकः सम/ 10375-81 दिनांकः– 31/10/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ,शासन सचिवालय राज. जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, जोधपुर/जैसलमेर।
4. विशिष्ठ सहायक माननीय राजस्व मंत्री महोदय शासन सचिवालय जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/जांच/रिट/कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
6. सम्बंधित श्री .... ।
7. आदेश पंजिका / निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निबन्धक (रातस)
राजस्व मण्डल राज. अजमेर